झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

तृतीय– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 02 भाद, 1937 [श0] / 24 अगस्त, 2015 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गयी सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01	अ0सू0– 07	श्री प्रदीप यादव	अनियमितता के विरूद्ध कार्रवाई।	योजना सह–वित्त	13.08.2015
02	अ0सू0– 19	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	कार्मिक	20.08.2015
03	अ0सू0– 16	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	सेवा शर्त नियमावली बनाना।	कार्मिक	20.08.2015
04	अ0सू0– 12	श्री शशि भूषण सामाड़	अग्निशामक केन्द्र का स्थापना।	गृह	17.08.2015
05	अ0सू0–11	श्री दशरथ गागराई	विरमित करना।	कार्मिक	17.08.2015
06	अ0सू0– 28	श्री शिव शंकर उराँव	सी–सैट पद्धति को निरस्त करना।	कार्मिक	20.08.2015
07	अ0सू0– 26	श्रीमती सीता सोरेन	पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई।	[गृह]	20.08.2015
08	अ0सू0– 25	श्री राजकुमार यादव	पीड़ित परिवार को मुआवजा देना।	गृह	20.08.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
09-	अ0सू0- 27	श्री बिरंची नारायण	ब्याज से प्राप्त राशि का समायोजन।	योजना सह-वित्त	20.08.2015
10-	अ0सू0- 24	श्री राजकुमार यादव	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	गृह	20.08.2015
11-	अ0सू0- 18	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई	गृह	20.08.2015
12-	अ0सू0- 05	श्री रामकुमार पाहन	अनुमण्डल बनाना।	कार्मिक	13.08.2015
13-	अ0सू0- 08	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पुलिस केन्द्र का निर्माण	गृह	17.08.2015
14-	अ0सू0- 21	श्री अरूप चटर्जी	पदो का सृजन।	कार्मिक	20.08.2015
15-	अ0सू0- 20	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पुनर्निमाण कराना।	गृह	20.08.2015
16-	अ0सू0- 01	श्री आलमगीर आलम	राशि का खर्च।	योजना सह-वित्त	13.08.2015
17-	अ0सू0- 22	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	कार्यों का गुणवत्ता जाँच।	मंत्रिमंडल निगरानी	20.08.2015
18-	अ0सू0- 15	श्री अमित कुमार	फर्जी काण्ड वापस लेना	गृह	20.08.2015
19-	अ0सू0- 23	श्री डुलू महतो	बचाव कर्मियों की नियुक्ति	गृह	20.08.2015
20-	अ0सू0- 13	श्री राज सिन्हा	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	योजना सह- वित्त	18.08.2015
21-	अ0सू0- 02	श्री संजीव सिंह	कमिश्नरी का दर्जा।	कार्मिक	13.08.2015
22-	अ0सू0- 06	श्री रामकुमार पाहन	आपदा की सूची में शामिल करना	गृह	17.08.2015
23-	अ0सू0- 09	श्री राधाकृष्ण किशोर	बटालियनों की स्थापना।	गृह	17.08.2015
24-	अ0सू0- 10	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मुआवजा का भुगतान।	गृह	17.08.2015
25-	अ0सू0- 17	श्री अनन्त कुमार ओझा	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह	20.08.2015
26-	अ0सू0- 04	श्री प्रदीप यादव	अनुशंसा करना।	कार्मिक	13.08.2015

01.	02.	03.	04.	05.	06
27-	अ0सू0- 29	श्री राधाकृष्ण किशोर	उग्रवाद पर नियंत्रण।	गृह	20.08.2015
28-	अ0सू0- 03	श्री आलमगीर आलम	अनियमितता पर रोक।	योजना सह-वित्त	13.08.2015

राँची,
दिनांक- 24 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक- झा0वि0स0(प्रश्न)-03/15......2401....../वि0स0, रांची, दिनांक-21/8/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष/ अन्य मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- झा0वि0स0(प्रश्न)-03/15......2401....../वि0स0, रांची, दिनांक-21/8/15

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय, अपर सचिव (प्रश्न) एवं संयुक्त सचिव, (वेबसाईट) को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सुभाष

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा का तृतीय सत्र/अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. 07 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अंत मार्च, 2015 में राज्य के कोषागारो से 942 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निकासी की गई है।	अस्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि छः माह बीत जाने के पश्चात् भी इस अतिरिक्त निकासी का अब तक सामंजन नहीं हो पाया है।	अस्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर अस्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	किसी भी वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सरकार कटिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)-25/2015..2514(वि.) राँची/दिनांक: 21.08.2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2042/वि०स०, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
अपर सचिव

माननीय श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक– 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–19 का उत्तर निम्नवत अंकित है–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात यह सही है कि झारखण्ड राज्य के कुल आबादी का 27 प्रतिशत कुरमी जाति के लोग निवास करते है;	जातिगत जनगणना संबंधी आकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–1950 तक कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में रखा गया था;	झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के प्रतिवेदन के अनुसार छोटानागपुर की कुरमी/कुडमी (महतो) जाति को 1913 में एबोर्जिनल ट्राईब्स की सूची में रखा गया था परन्तु 1950 में जारी अधिसूचना जनजाति की सूची में कुर्मी/कुडमी (महतो) का नाम नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक–23.11.2004 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय निम्न प्रकार है:– "छोटानागपुर की कुरमी/कुडमी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर तथा संथाल परगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाय कि उक्त जातियाँ क्रमशः 1913 एवं 1938 में अनुसूचित जनजाति की सूची में थी किन्तु क्रमशः 1950 एवं 1952 की सूची में शामिल न किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। उक्त जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये उठती मांगों के आधार पर भारत सरकार इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु पुनर्विचार करे। इस निर्णय के बाद पत्रांक–6336 दिनांक–08.12.2004 द्वारा भारत सरकार से की गयी अनुशंसा निम्न प्रकार है:– "उत्तरी छोटानागपुर की कुरमी (कुडमी) महतो तथा संथाल परगना की घटवार जातियां क्रमशः 1913 एवं 1938 में अनुसूचित जनजाति में थी, किन्तु क्रमशः 1950 तथा 1952 की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त जातियो को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करें।" भारत सरकार द्वारा इस जाति का मानवशास्त्रिक ब्यौरे की मांग की गयी। झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से मानवशास्त्रिक ब्यौरे प्राप्त कर भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी। मानवशास्त्रिक ब्यौरे में समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन के संदर्भ में शोध संस्थान का दृष्टिकोण है कि झारखण्ड राज्य में निवासरत कुरमी/कुडमी (महतो) जाति को न तो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी और न अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसे यथास्थिति बनाये रखने की आवश्यकता है। प्राप्त मानवशास्त्रिक विवरण राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने के बाद, उक्त विवरण के आलोक में कुरमी/कुडमी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बिन्दु पर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गयी है। उल्लेखनीय है कि किसी जाति/समुदाय का अनुसूचित जाति/जनजाति में समावेश के मामले में अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाना है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–29 / 2015 का0– 1616 /रांची, दिनांक 21/08/ 2015

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–2295 वि0स0 दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2015

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(3)

माननीय स०वि०स० श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16 का उत्तर।

क्र००	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के 31 विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 268832 के विरूद्ध मात्र 191689 पद पर ही अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है और शेष 77143 पद नियुक्ति नियमावली के अभाव में रिक्त पड़े है;	सभी विभागों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को पत्र द्वारा केन्द्र के अनुरूप नई सेवा शर्त्त नियमावली छठे वेतन आयोग के अनुशंसा पर तैयार करने का निर्देश देने के बावजुद अधिकांश विभाग ने सेवा नियमावली का गठन नही किया गया है;	राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागान्तर्गत सेवा/संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली की प्रस्तावित अद्यतन संख्या–182 है, जिसमें कुल–95 सेवा शर्त नियमावलियों का गठन किया जा चुका है। उक्त नियमावलियों में 20 नियमावलियों को Core Service Rules के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके विरूद्ध कुल 14 नियमावलियों का गठन अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर शेष 06 नियमावलियों के गठन का कार्य सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि नियमावली बन जाने के पश्चात इन रिक्त पदों के विरूद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी को हर माह वेतन एवं भत्ते मद में 250 करोड़ रूपये खर्च होगें जिसका बजटिय प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक। नियुक्ति के उपरांत वेतनादि पर होने वाले व्यय का आकलन कर बजटीय प्रावधान किया जाना संभव हो सकेगा।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवा शर्त्त नियमावली बनाने में विलम्ब के लिए जिम्मेवार विभागों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सेवा शर्त्ते नियमावली अविलम्ब बनाकर रिक्त पड़े 77143 पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–56/2015 का.–7613 /राँची, दिनांक–21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2296, दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.15

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

श्री शशि भूषण सामाड़, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में अग्निशामक केन्द्र नहीं होने के कारण चक्रधरपुर क्षेत्र में आग पर काबु पाने के लिए चाईबासा स्थित अग्निशामक केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है .	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में समय पद दमकल गाड़ी नही पहुँचने से कई घटनाएँ भयावह रूप ले लेती है जिससे जान माल की क्षति अधिक होती है।	अंशतः स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है . हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों	सरकार द्वारा चक्रधरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र (फायर ब्रिग्रेड स्टेशन) खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त अग्निशामक केन्द्र को क्रियाशील करने हेतु उपायुक्त, चाईबासा को भवन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जा चुका है। जिसके प्राप्त होते ही अग्निशामालय क्रियाशील हो जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/एफ०–02/60/2015 4810/ राँची, दिनांक–22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2114, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

(5)

माननीय श्री दशरथ गागराई, सo विo सo द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभाग से 10 वर्षों के पश्चात् अधिसूचना संख्या 3317 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा कर दिया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानांतरण के बावजूद भी वह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है. इनके उपर कई प्रकार के आरोप गठित विभागीय पत्रांक 4842 दिनांक 12.06.2015 द्वारा किया गया है,	विभागीय अधिसूचना संख्या 3317 दिनांक 13.04.2015 द्वारा श्री सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रतिनियोजित झारखंड लोक सेवा आयोग में की गई थी तथा इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 3772 दिनांक 23.04.2015 द्वारा विरमित किया गया था। विशेष परिस्थिति में श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या 3807 दिनांक 24.04.2015 द्वारा स्थगित की गई है। श्री कुमार के विरूद्ध श्री संतोष कुमार, धनबाद से एक परिवाद विभाग में प्राप्त हुआ है। उक्त परिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं पर प्रशासी विभाग का मंतव्य एवं जांच प्रतिवेदन इस विभाग के पत्रांक 4842 दिनांक 02.06.2015 द्वारा अधियाचित है। उक्त विभाग द्वारा परिवादी से शपथ पत्र एवं साक्ष्य की मांग की गई है। इस संदर्भ में पत्रांक 7513 दिनांक 19.08.2015 द्वारा प्रशासी विभाग को स्मारित भी किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग से विरमित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से मंतव्य एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार मामले पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7 / संसदीय कार्य–03 / 2015 का.7536 / रांची, दिनांक 20.08.2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2102 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आदश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.08.15

(अजय त्रिवेदी)
सरकार के अवर सचिव।

(6)

माननीय श्री शिवशंकर उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा नीति के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा में तर्कशक्ति परीक्षण और अंग्रेजी ज्ञान परीक्षण पत्र सम्मिलित किया गया है और दोनों में पास करना अनिवार्य है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों खण्डों में प्राप्तांकों को मेधा सूची तैयार करने के लिए ऐच्छिक विषय में प्राप्त अंकों के साथ जोड़कर मेधा सूची तैयार के लिए की सी'–सैट पद्धति अपनायी जा रही है। इससे औसत ज्ञान रखने वाले ग्रामीण अंचल के विद्यालयों से पढ़कर आने वाले छात्र–छात्राओं भी भाग लेते हैं9	अस्वीकारात्मक। प्रारम्भिक परीक्षा से केवल उम्मीदवारों की Short-listing होती है। इसके अंक मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषय के साथ मेधा सूची बनाने के लिए जोड़े नहीं जाते हैं। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी योग्यता का स्तर मैट्रिक रखा गया है एवं राज्य सेवाओं के लिए इस स्तर का न्यूनतम ज्ञान आवश्यक है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सी–सैट पद्धति को निरस्त कर पुरानी पद्धति जो केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा भी अपनाया गया है, को पुनर्बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब	पूर्व की कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0(अ0सू0)–06–13/2015 का.–3615 /राँची, दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के ज्ञाप संख्या–2308 दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में दो सौ प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

letter

(7)

श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.08.2014 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 की उत्तर सामग्री

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि राज्य में निगरानी विभाग राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्यरत है ?</td><td>स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या निगरानी राज्य के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के अधिकार से भी सुसम्पन्न है ?</td><td>स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो निगरानी विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों से 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में कितने पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों को घूस/रिश्वत लेते पकड़ा और उनके विरूद्ध कार्रवाई की है ?</td><td>जिन्हें (पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारी) रिश्वत लेते पकड़ा गया और उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई, उनकी संख्या वर्षवार निम्नवत् है ।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>काण्ड की संख्या</th><th>गिरफ्तारी</th></tr>
<tr><td>2012</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2013</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2014</td><td>01</td><td>02</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>03</td><td>04</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी)

ज्ञाप संख्या-06/नि0वि0/विधानसभा–05/2015...1737.../राँची, दिनांक 21/08/15/

प्रतिलिपि: 200 प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 230 दिनांक 20.08.2015 (अ0सू0प्र0–26) के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15
(मनोज जायसवाल)
सरकार के उप सचिव ।

(8)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015
को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–25 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा थाना ओ०डी० केस सं०–02/15, दिनांक–03.08.15 को सकरी नदी के बाढ़ में बह जाने से 4 (चार) बच्चों की मौत हो गयी थी ;	1. आंशिक स्वीकारात्मक है। अंचल अधिकारी, गांवा का पत्रांक–कैम्प, दिनांक–21.08.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि गांवा थाना ओ०डी० के०सं०–02/15, दिनांक–03.08.2015 को सकरी नदी में आये बाढ़ से 03 (तीन) बच्चों की मौत हुई थी ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2. स्वीकारात्मक है । उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदनानुसार यह कोमेन तूफान से संबंधित है तथा सकरी नदी में बाढ़ आने से घटना घटी है, अभिलेख तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:– 986 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 22/08/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2299, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/2015

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

(9)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा का तृतीय सत्र / अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. 27 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग व अन्य कई विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की निकासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर अग्रिम के तौर पर कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व ही कर ली जाती है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राशि की निकासी किये जाने का प्रावधान है।
(2) क्या यह बात सही है कि अग्रिम राशि को पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) के निजी बैंक खाते में रख लिया जाता है, और इस राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि का समायोजन नहीं किया जाता है?	योजना सह वित्त विभागीय पत्रांक 2372 दिनांक 11.08. 2015 द्वारा संदर्भित विषय में सरकारी राशि के व्यक्तिगत खातों में रखे होने की गहन जाँच किये जाने तथा ऐसा पाये जाने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज किये जाने संबंधी निदेश दिये गये है।
(3) क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि को अपने निजी कार्यों में खर्च करने के कारण वित्तीय अनियमितता की जा रही है?	
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज राशि का समायोजन नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)-25/2015 2515 (वि०) राँची/दिनांक 21-08-2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2307/वि०स०, दिनांक 20.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.15
(विनोद चन्द झा)
अपर सचिव

श्री राजकुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह अंतर्गत सरीया थाना कांड सं०–255/15 कोयरीडीह गांव में अपराधियों द्वारा दिनांक–05.07.2015 को अरूण पाण्डे की हत्या की गयी थी :	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस हत्या कांड में 7 (सात) नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है :	आंशिक स्वीकारात्मक। इस काण्ड में 10 नामजद अभियुक्त हैं।
3	क्या यह बात सही है कि 1 (एक) महीना से ज्यादा बितने के बाद भी गिरफ्तारी के लिए अब तक पुलिस ढुलमुल रवैया अपना रही है :	अस्वीकारात्मक। अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिक अभियुक्त बुधन मराण्डी, पिता–स्व० बड़कु मराण्डी, सा०–सिमराबेड़ा, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह, को गिरफ्तार कर दिनांक–12.07.15 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त बुधन मराण्डी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में शामिल अन्य फिरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। अभियुक्तों के फिरार रहने की स्थिति में माननीय न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। प्राथमिकी के अभियुक्तों के विरूद्ध सघन अनुसंधान कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। घटना के एक सप्ताह के अंदर बुधन मराण्डी, पिता–स्व० बड़कु मराण्डी सा० सिमराबेड़ा, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह को गिरफ्तार कर दिनांक–12.07.2015 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त बुधन मराण्डी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त भीम मराण्डी उर्फ मांझी, पिता–स्व० बड़कु मांझी, सा०–सिमराबेड़ा थाना सरिया एवं अप्राथमिकी अभियुक्त सहदेव मुर्मू, पिता–बड़कु मुर्मू उर्फ मूटकु मुर्मू, सा०–करमा बहियार (जरीडीह) बालोकांडो, थाना–डुमरी, जिला गिरिडीह को फिरार रहने की स्थिति में माननीय न्यायालय से कुर्की जब्ती प्राप्त किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से भागे फिरे हैं, जिनके विरूद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी के शेष नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध गहन अनुसंधान कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाऐगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–8/वि०स०–(04)–40/2015–4825/ राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2298, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

(11)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ थाना के ग्राम–नावाटाँड़ में दिनांक–28.07.2015 को स्व० बालेश्वर महतो की हत्या मारपीट के कारण हो गई है तथा सात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है ।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्व से श्री श्यामलाल महतो, पिता–स्व० तुलसी महतो का विवाद मृतक के साथ चल रहा था जिसकी सूचना मृतक के लड़के द्वारा दिनांक–27.07.2015 को संध्या एवं 28.07.2015 को सुबह में अप्रिय घटना की सूचना थाना को दी गई थी ।	आंशिक स्वीकारात्मक। मृतक के पुत्र द्वारा दिनांक–27.07.2015 को कोई सूचना नही दी गई थी। दिनांक–28.07.2015 को सुबह में मृतक के पुत्र द्वारा घटना की सूचना दी गई।
3	क्या यह बात सही है कि मृतक के पुत्र द्वारा थाना को सूचना देने के उपरान्त कोई कार्रवाई नही की गयी, जिससे स्व० बालेश्वर महतो की हत्या हो गई ।	अस्वीकारात्मक। मृतक के पुत्र द्वारा दिनांक–28.07.2015 को सुबह में थाना को सूचना दी गई थी, जिसके उपरांत सशस्त्र बल के साथ पुलिस पदा० को घटनास्थल पर भेज दिया गया था। परन्तु उनके पहुँचने से पहले घटना घटित हो चुकी थी। तत्पश्चात् पुलिस द्वारा सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विष्णुगढ़ में ईलाज करवाया गया था एवं जख्म प्रतिवेदन जारी किया गया था। यहां से बालेश्वर महतो को बेहतर ईलाज हेतु रिम्स, राँची रेफर कर दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु ईलाज के क्रम में हो गई थी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा देने के साथ ही दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	घटना की सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी।' फिर भी तत्कालीन थाना प्रभारी विष्णुगढ़ को पुलिस केन्द्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जहां तक मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का प्रश्न है, ऐसी घटना (भू–विवाद) में मुआवजा का कोई प्रावधान नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०(04)–41 / 2015 4824 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2306, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(12)

माननीय स०वि०स० श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा, सिल्ली एवं राहे प्रखण्डों को मिलाकर अनगड़ा प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाने की तमाम अर्हत्ताओं को पुरा करता है;	ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनगड़ा को अनुमण्डल बनाने के लिए पूर्व से इस क्षेत्र के जनता द्वारा माँग किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनगड़ा प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–47/2015 का.–7559/राँची, दिनांक– 20/8/15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2040, दिनांक 13.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.08.15

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

13

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, माननीय स० वि० स० से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न सं०-08 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला मुख्यालय में अभी तक पुलिस केन्द्र नहीं बन पाया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जिला में पुलिस केन्द्र नहीं रहने से पुलिस जवानों को रहने में काफी असुविधा होती है एवं असुरक्षित भी है।	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस कर्मियों को जिला समाहरणालय के बेसमेंट (Basement) में निर्मित दो हॉल में आवासित किया गया है, जहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही जिला में पुलिस केन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस लाईन के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि अनुपयुक्त होने के कारण पुनः पर्याप्त एवं समुचित भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, जामताड़ा को निदेशित किया गया है। निर्माण हेतु पर्याप्त एवं समुचित भूमि उपलब्ध होने पर पुलिस लाईन के निर्माण हेतु कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 03/वि०स०/1009/2015 4809/ राँची, दिनांक– 22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि – उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके 2117/वि०स०, दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

(14)

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद 56 थाना क्षेत्रों के साथ एक वृहद जनसंख्या बहुल जिला क्षेत्र है, जिससे आये दिन यहाँ विधि–व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब धनबाद जिला में एक ग्रामीण एस०पी०, सिटी एस०पी० तथा सिनियर एस०पी० के पदों की सृजन की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, धनबाद तथा पुलिस अधीक्षक, नगर, धनबाद एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पद की सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–102 / 2015 5164 राँची, दिनांक– 22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2297, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

15

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा के हरिहरगंज, हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज तथा पिपरा प्रखण्डों में चक्रवाती तुफान "कैमोन" के भीषण बारिस से पुल–पुलिया, बांध–आहर, सड़क तथा मकानें ध्वस्त हो गई है ;	1. अस्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात भी सही है कि खण्ड–1 में वर्णित चक्रवाती तुफान से ध्वस्त हुए पुल–पुलिया, बांध–आहर, सड़क की मरम्मति के लिए तथा ध्वस्त मकानों के लिए पुनर्निर्माण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ;	2. अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पुल–पुलिया, बांध–आहर, सड़क तथा ध्वस्त मकानों का सर्वे कराकर इनका पुनर्निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–155, दिनांक–21.08.2015 के प्रतिवेदनानुसार इन क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान से जन–जीवन प्रभावित नहीं हुआ है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–20 / 2015– 984 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 22/08/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2303, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

(16)

श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 की उत्तर सामग्री :–

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विभागों को 15,845.00 करोड़ रुपये की राशि 30 सितम्बर, 2015 तक खर्च करना है जबकि माह जून तक मात्र 2866.00 करोड़ की राशि ही खर्च हो पायी है ?	अंशतः स्वीकारात्मक है। योजना मद में अद्यतन व्यय 4568.83 करोड़ रुपये है ।
2.	यदि उक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लक्ष्यानुसार योजना मद की राशि को खर्च करने का विचार रखते हैं, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना मद की शत्–प्रतिशत् राशि व्यय करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है ।

झारखंड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि•स• (4)– 26/2015–2513/वि० राँची/दिनांक 21/08/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक–............ वि०स०, दिनांक–............ के आलोक में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.15

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

श्री अमित कुमार, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–15 का उत्तर प्रतिवेदन :– (18)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के सिल्ली (मुरी ओ०पी०) में थाना कांड संख्या–48/15 दर्ज किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अवैध लकड़ी तस्कर द्वारा लकड़ी लदे ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार होने के बाद अपने बचने के लिए 30 अन्य निर्दोश व्यक्तियों पर तस्कर द्वारा उक्त फर्जी कांड दर्ज कराया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री नगेन महतो (टैक्टर चालक) पिता–स्व० शंकर महतो, सा०–जमनी टॉड़, थाना–सिल्ली (मुरी ओ०पी०), जिला–राँची जो सिल्ली, (मुरी ओ०पी०), थाना काण्ड संख्या–47/15, दिनांक–05.4.15 धारा–414/353/506/34 भा०द०वि० के अभियुक्त है, तथा दिनांक– 06.04.2015 से न्यायिक हिरासत में है, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर सिल्ली, (मुरी ओ०पी०), थाना काण्ड संख्या–48/15, दिनांक–05.04.15, धारा–341/323/379/427/504/34 भा०द०वि० के तहत दर्ज किया गया है। यह काण्ड 1. सिल्ली विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री अमित कुमार महतो, 2. हरून मोमिन, सा०–गोलबाडीह एवं अन्य दो बॉडी गार्ड के विरूद्ध प्रतिवेदित कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फर्जी कांड संख्या–48/15 को वापस लेना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में उपरोक्त थाना संख्या–48/15 एवं 47/15 अनुसंधान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०–(04) 42/2014–4827 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2301, दिनांक–20.08.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.15
सरकार के उप सचिव।

19

श्री डुलू महतो, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015
को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री डुलू महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक आपदा से प्रतिवर्ष सैकड़ो लोगों की मौत हो जाती है ;	1. स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात भी सही है कि आपदा कर्मियों की भारी कमी होने के कारण सही समय पर बचाव कार्य नहीं होने से अधिकांश जाने जाती है ;	2. स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आपदा कर्मी जैसे गोताखोर फायर फाईटर एवं अन्य बचाव कर्मियों की नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में किये गये प्रावधानानुसार राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया जा रहा है । वर्तमान में राज्य आपदा मोचन बल की एक कंपनी के अधीन 132 (एक सौ बतीस) पदों का सृजन का निर्णय लिया गया है । कुल–132 पदों में से विभिन्न बचाव कर्मी के साथ–साथ गोताखोर एवं अन्य बचाव कर्मी भी शामिल हैं ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–18 / 2015–983 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 22/08/15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2305, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/2015

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

20

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा का तृतीय सत्र/अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. 13 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है झारखण्ड में वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2012-13 तक के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निकासी की गई अग्रिम में से कुल छः हजार पांच सौ तैंतालीस करोड़ बिरासी लाख रूपये के कुल पांच हजार दो सौ सोलह रूपये अग्रिम विपत्र का समायोजन लंबित है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी राशि की अग्रिम निकासी का समायोजन नहीं होना वित्तीय अनियमितता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। अग्रिम और उसका समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन लंबित अग्रिम राशि आकस्मिक विपत्रों का समायोजन कर दोषी पदाधिकारियों पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लंबित अग्रिम राशि (ए.सी. विपत्र से निकासी की गई राशि) के समायोजन हेतु योजना सह वित्त विभाग के पत्रांक 2372/वि. दिनांक 11.06.2015 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)-25/2015 2517/वि० रांची/दिनांक 21-08-2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची के ज्ञापांक 2177/वि०स०, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द झा)
अपर सचिव

(21)

माननीय स०वि०स० श्री संजीव सिंह द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला को अब तक कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि धनबाद जिला कमिश्नरी की सारे अहर्ताओं को पूरा करता है;	ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग की दूरी करीब 150 कि०मी० लगभग है जिसके कारण आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद को कमिश्नरी का दर्जा देने का विचार रखती है हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–48/2015 का.–7558/राँची, दिनांक– 20/8/15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2037, दिनांक 13.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.08.15

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

(22)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015
को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से ग्रामीणों की अकाल मृत्यु हो जाने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है .	1. स्वीकारात्मक है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्पदंश से मृत्यु को आपदा प्रबंधन की सूची में शामिल करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2. भारत सरकार द्वारा अबतक बारह (12) प्राकृतिक आपदाओं (हिमस्खलन / बादल फटना / चक्रवात / सूखा / भूकम्प / अग्निकांड / बाढ़ / ओलावृष्टि / भू–स्खलन / टिड्डा एवं कृतक संकट / सुनामी / शीतलहर) को अधिसूचित किया गया है, जिससे प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से अनुग्रह राशि उपलब्ध करायी जाती है। सम्प्रति, सर्पदंश से मृत्यु को आपदा प्रबंधन की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–11 / 2015–374 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची का ज्ञाप संख्या–2041, दिनांक–13.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(थॉमस हुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

(23)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के आदिम जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पलामू एवं दुमका जिले में 02 आदिम जनजाति बटालियनों की स्थापना का निर्णय वर्ष 2015–16 में लिया गया था ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य के दुमका एवं खूँटी जिलों में 02 आदिम जनजाति बटालियनों की स्थापना करने का निर्णय वर्ष 2015–16 में लिया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी की आदिम जनजाति बटालियनों की स्थापना की अद्यतन स्थिति क्या है ;	नवसृजित विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) के 02 बटालियनों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल 2214 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें से सामान्य पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली भी अधिसूचित की जा चुकी है। नियुक्ति नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नवसृजित विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियनों में सामान्य पुलिस के 1042 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु विभागीय पत्रांक–4239, दिनांक–13.07.2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराई गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–26 / 2015 5162 राँची, दिनांक– 22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2116, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

(24)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि अप्रैल, 2015 के दौरान राँची जिलान्तर्गत क्रमशः चान्हो, मांडर, बेड़ो एवं इटकी प्रखण्ड में तेज–आँधी–तुफान से सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गये थे जिसके उपरांत भुक्तभोगियों ने फोटो सहित मुआवजे हेतु प्रखण्ड कार्यालयों में जमा कर दिया है ;	1. स्वीकारात्मक । राँची जिलान्तर्गत कुल–225 (मांडर–104, बेड़ो–43 तथा लापुंग–78) मकान क्षतिग्रस्त हुए थे ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त आलोक में प्रभावितों को तत्काल देय मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ;	2. स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के पीड़ित परिवारों को शीघ्र ही मुआवजों का भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. उपायुक्त, राँची के प्रतिवेदनानुसार अप्रैल, 2015 के दौरान हुए फसल क्षति के क्षतिपूर्ति मद में इन्हीं प्रखण्डों के 568 कृषक लाभुकों को मो० 23,59,583/– (तेईस लाख उनसठ हजार पाँच तिरासी) रूपये का भुगतान किया जा चुका है । अप्रैल, 2015 में आँधी तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में सीधे भेजने की कार्रवाई उपायुक्त, राँची द्वारा की जा रही है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग) ।

ज्ञापांकः–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–15 / 2015– 985 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 22/08/2015

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2115, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/2015

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिलान्तर्गत दियारा क्षेत्र कारगिल गंगा नदी के मध्य एवं राज्य सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ पुलिस पिकेट स्थापित किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र से पुलिस पिकेट हटा लिये जाने कारण स्थानीय आमजन को सीमावर्ती यथा बिहार एवं प० बंगाल के असामाजिक तत्वों से भय एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अपराधकर्मियों के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों संबंधी आसूचना प्राप्ति पर विशेष रूप से पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त करते हुए विधि–व्यवस्था का संधारण किया जाता है। सम्प्रति इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–29 / 2015 5174 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2304, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.15

सरकार के उप सचिव।

(26)

माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो उपायुक्त श्री मनोज कुमार का फर्जी अभिलेखों के आधार पर भा.प्र.से. (IAS) में चयन से सम्बन्धित मामले की जांच सरकार के निदेश के आलोक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित खरे को दिया गया;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री मनोज कुमार के सम्बन्ध में उनके प्रशासी विभाग द्वारा अभिलेखित विशेष चारित्री के मामले पर जाँच का भार श्री अमित खरे, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग को सौंपा गया था।
2	क्या यह बात सही है कि श्री खरे द्वारा जांच में श्री मनोज कुमार पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए एवं तत्सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को एक माह पूर्व ही समर्पित किया जा चुका है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री मनोज कुमार के सम्बन्ध में अभिलेखित विशेष चारित्री पर श्री अमित खरे द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री मनोज कुमार के विरूद्ध त्वरित आवश्यक अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त आवश्यक निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/न्या०वि०स०–1107/2015 का.– 7538 /राँची, दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञापांक–2039/वि०स०, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suman Kumar 20-8-2015

(सुमन कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Letter

(27)

श्री राधा कृष्ण किशोर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नक्सली संगठनों की हिंसक कार्रवाई तथा दहशत के कारण राज्य के अधिकांशतः जिलों में यथा छतरपुर प्रखण्ड के छत्रधारी तथा ललगाड़ा गाँव में पुल जैसी स्वीकृत विकास की योजनाओं का निर्माण बाधित है ;	छतरपुर प्रखण्ड के छत्रधारी तथा नौडीहा थानान्तर्गत लालगाड़ा गाँव में पुल निर्माण कार्य में नक्सली संगठनों द्वारा कार्य बाधित करने के संबंध में कोई काण्ड प्रतिवेदित नहीं हुआ है और न ही इस संबंध थाना में कोई लिखित सूचना प्राप्त हुई है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि उग्रवाद नियंत्रण तथा उनके द्वारा बाधित किए गए योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	इस प्रकार की सूचना किसी थाना क्षेत्र में मिलने पर योजनाओं के निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू रखने हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्य में बाधा पहुँचाने वाले के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०–(04) 43 / 2015–4823 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2309, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.15

सरकार के उप सचिव।

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा का तृतीय सत्र/अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. 03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के 2685 करोड़ रुपये की बजट राशि को सरकार ने कोषागार से निकाल कर पी.एल. एकाउण्ट में जमा करा दिया जबकि इस राशि को उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2015 तक खर्च करना था और खर्च नहीं होने पर सरेंडर करना था।	अस्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि सरकार के 13 विभागों यथा- नगर विकास, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, गृह, उद्योग, पंचायती राज, विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी, जल संसाधन, पर्यटन और समाज कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2014-2015 की राशि को कोषागार से निकाल कर पी.एल. एकाउण्ट में जमा कर कोषागार संहिता का उल्लंघन किया है, जो एक वित्तीय अनियमितता है।	अस्वीकारात्मक। पी.एल. खाता में सरकारी राशि नियमानुसार अंतरित की जाती है।
(3.) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वित्तीय अनियमितता को रोकने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका-1 एवं 2 के आलोक में पी.एल. खाते में राशि को Transfer करने से कोई वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बनता है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)-24/2015 2516/वि०. राँची/दिनांक 21.08.2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2038/वि०स०, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
अपर सचिव